Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये चतुरूराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–सीकर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके 45 लाख रुपये के बकाया बिलों के भुगतान करने की एवज में चतुरूराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–सीकर द्वारा 82 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचन्द** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये चतुरूराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–सीकर को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत के रूप में पहले ही वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।